प्रेस नोट

दिनांक 28.11.2024

थाना मौदहा द्वारा हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौदहा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 490/2024 धारा 103(1)/238 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त राहुल यादव उर्फ सुघर सिंह पुत्र राजबहादुर उर्फ रज्जी निवासी ग्राम चकदहा थाना मौदहा जिला हमीरपुर को मृतक जगन्नाथ कुशवाहा की मोटरसाइकिल व मोबाइल (सैमसंग कम्पनी) के साथ ग्राम मदारपुर मोड़ के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद कर, विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.11.2024 को थाना मौदहा पुलिस को, जगन्नाथ कुशवाहा पुत्र लल्ली कुशवाहा उर्फ खुशाली (उम्र करीब 40 वर्ष) निवासी ग्राम चकदहा थाना मौदहा का शव मौदहा थाना क्षेत्र अन्तर्गत लरौंद रोड के किनारे झाड़ियों में मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना मौदहा पुलिस मौके पर पहुंची व फील्ड यूनिट टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। शव का पोस्टमार्ट चिकित्सकों के पैनल से कराए जाने हेतु, थाना पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर भेजा गया। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल यादव उर्फ सुघर सिंह पुत्र राजबहादुर उर्फ रज्जी निवासी ग्राम चकदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 23.11.2024 को मैं व मृतक जगन्नाथ उसी की मोटर साइकिल से चकदहा से बिगहना गये, जहाँ पर देशी शराब ठेका से शराब लेकर हम दोनों ने शराब पिया, उसके बाद मैं जगन्नाथ की मोटर साइकिल चला रहा था। जगन्नाथ मेरे पीछे मो0सा0 पर बैठा था फिर हम दोनों लरौंद रोड की पुलिया पर फिर से शराब पिया व वापस गांव आते समय वहद ग्राम रतौली के पहले रास्ते में मो0सा0 से हम दोनों गिर गये जिस कारण जगन्नाथ मुझे गाली देते हुए तमाचा मार दिया। इसी बात नाराज होकर मैनें वही से एक डंडे से उसके सिर पर मारा व सीने एवं पीठ पर चढकर घुटने से मारकर हत्या कर दी तथा शव को वही पास में रोड के किनारे झाडियों में छिपा दिया। जगन्नाथ की मोटरसाइकिल व मोबाइल को छिपाने के उद्देश्य से वहां से लेकर भाग गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

राहुल यादव उर्फ सुघर सिंह पुत्र राजबहादुर उर्फ रज्जी (उम्र करीब 22 वर्ष) निवासी ग्राम चकदहा थाना मौदहा जिला हमीरपुर

बरामदगी का विवरण –

1.एक अदद मृतक का मोबाइल (सैमसंग कम्पनी)

2.मृतक की मोटर साइकिल

3.आलाकत्ल एक अदद बबूल का डण्डा

4.एक अदद मोबाइल अभियुक्त का (रैडमी कम्पनी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उमेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना मौदहा

2.क्रा0 नि0 चन्द्रशेखर गौतम थाना मौदहा

3.उ0नि0 दीपक कुमार थाना मौदहा

4.का0 विनोद कुमार थाना मौदहा

5.का0 रंजीत कुमार थाना मौदहा

6.का0 विजय कुमार थाना मौदहा